PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Thursday, 30th August 2012, Page: 3
Width: 18.08 cms Height: 18.88 cms, Ref: pmin.2012-08-30.49.26

हलचल ◆ लोगों तक दवाएं पहुंचाने के लिए अंतर-मंत्रालय समिति का सुझाव

सरकार को पेटेंट दवाओं के मुफ्त वितरण की सलाह

बिजनेस भास्कर ◆ नई दिल्ली

पेटेंट दवाओं की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए गठित की गई अंतर-मंत्रालय समिति ने आम लोगों तक दवाएं पहुंचाने के लिए दवाओं के मुफ्त वितरण का सुझाव दिया है। समिति का कहना है कि पेटेंट दवाओं की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि कीमतें कम कराने के बावजूद ज्यादातर लोग इसे खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनियों से बातचीत कर पेटेंट दवाओं की कीमतें कम कराई जा सकती हैं। इसके बावजूद लोगों के लिए पेटेंट दवाएं खरीदना आसान नहीं होगा। ऐसे में केंद्र सरकार खुद पेटेंट दवाएं खरीद कर इसका मुफ्त वितरण करे। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो उसे पेटेंट दवा खरीदने वालों को इसका भुगतान करना चाहिए।

समिति ने दवा कंपनियों से बातचीत कर पेटेंट दवाओं की कीमतें कम कराने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में नए क्लॉज जोड़े जाने का भी सुझाव दिया है। इससे दवा कंपनियों से बातचीत कर पेटेंट दवाओं की कीमतें कम कराई जा सकेंगी। भारत में कोई दवा बेचने के लिए दवा कंपनियों को मार्केटिंग अप्रूवल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) से लेना होता है। ऐसे में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में नए क्लॉज जोड़ कर डीसीजीआई को कीमतों पर बातचीत का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस,आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित कई देशों में पेटेंट दवाओं की कीमतें बातचीत करके तय की जाती हैं। कीमत तय करने का आधार प्रति व्यक्ति आय को बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अमेरिका में किसी दवा की कीमत 40,000 रुपये है और अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय भारत से आठ गुना अधिक है। ऐसे में भारत में इस दवा की कीमत अमेरिका की तुलना में आठ गुना कम यानी 5 हजार रुपये होनी चाहिए। समिति ने सुझाव दिया है कि पेटेंट दवाओं की खुदरा कीमतें इसी आधार पर तय की जानी चाहिए। यह फार्मूला उन दवाओं पर लागू होगा, जिनका फिलहाल बाजार में कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

समिति का कहना है कि ऐसी पेटेंट वाली दवाएं, जिनके विकल्प बाजार में हैं, के दाम इस तरह से तय किए जाने चाहिए कि बीमारी के इलाज की कुल लागत में इजाफा न हो। मौजूदा समय में पेटेंट दवाओं की कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है। फार्मास्युटिकल्स विभाग इस रिपोर्ट का परीक्षण कर रहा है। इसके बाद इसे अलग-अलग मंत्रालयों में भेजे जाने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में दिए गए सुझाव पर दवा कंपनियों और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों की राय भी ले जाएगी। जल्द ही रिपोर्ट के सार्वजनिक किए जाने की उम्मीद है।

क्या है रिपोर्ट में

- पेटेंट दवाओं की कीमत तय करने का आधार प्रति व्यक्ति आय को बनाया जाए
- कीमतें कम कराने के बावजूद लोगों के लिए पेटेंट दवाएं खरीदना आसान नहीं होगा
- ऐसे में केंद्र सरकार खुद पेटेंट दवाएं खरीद कर इसका मुफ्त वितरण करे
- ऐसा संभव न हो तो पेटेंट दवा खरीदने वालों को इसका भुगतान हो

क्या होगा इस रिपोर्ट का

फार्मास्युटिकल्स विभाग इस रिपोर्ट का परीक्षण कर रहा है। इसके बाद इसे अलग-अलग मंत्रालयों में भेजे जाने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में दिए गए सुझाव पर दवा कंपनियों और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों की राय भी ले जाएगी। जल्द ही रिपोर्ट के सार्वजनिक किए जाने की उम्मीद है।